

(6)

03-07-17

पंजाबी पदाधिकारी अवकाश पर
दिनांक 17-07-17 को रखें।

17-07-17

आमिलेख उपर्युक्त। उभय
पक्ष अनुपस्थित। उक्त वाद में
(दो) माह की अवधि पूर्ण हो
चुकी है। अर्थात् वाद कालबाधित
हो गया है। अतः वाद में आमिलेख
की कारवाही बन्द की जाती है।

17/7/17
कार्यपालक पदाधिकारी
बुन्दू (रांची)